

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-नया रायपुर
// आदेश //

141

रायपुर, दिनांक 4 / 12 / 2013

क्रमांक एफ 6-35 / 2013 / 20-तीन :- राज्य शासन एतद् द्वारा समिति का प्रतिवेदन तथा एस.सी.ई.आर.टी रायपुर के अनुशंसा के आधार पर अशासकीय अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था होलीकास बी०टी०आई० पथलगांव जिला जशपुर में संचालित डी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सत्र 2013-14 से निम्नानुसार शुल्क निर्धारण करता है :-

डी०एड० पाठ्यक्रम हेतु प्रथम वर्ष

वर्ष	विवरण	राशि प्रति छात्र	विशेष
प्रथम वर्ष	1. शैक्षणिक गतिविधियों हेतु	3500 / -	काशनमनी शामिल है।
	2. आकस्मिक व्यय हेतु व रख रखाव	500 / -	
	3. विकास शुल्क	1000 / -	
	कुल योग	5000 / -	

डी०एड० पाठ्यक्रम हेतु द्वितीय वर्ष

वर्ष	विवरण	राशि प्रति छात्र	विशेष
द्वितीय वर्ष	1. शैक्षणिक गतिविधियों हेतु	3000 / -	
	2. आकस्मिक व्यय हेतु व रख रखाव	500 / -	
	3. विकास शुल्क	1000 / -	
	कुल योग	4500 / -	

Shri R.K. Verma
6/12

// 2 //

शिक्षा सत्र 2013-14 से अशासकीय अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक होलीकास बी0टी0आई0 पत्थलगांव में संचालित डी0 एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश शुल्क का विवरण मद वार निम्नानुसार है :-

डी0एड0 पाठ्यक्रम

स0क0	संस्थागत फीस का मद	शुल्क प्रति छात्र पाठ्यक्रम	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.वि. कीड़ा अंशदान	300/-	द्वितीय वर्ष में काशनमनी देय नहीं होगा। शेष शुल्क प्रथम वर्ष की तरह देय होगा। अतः द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि 3000/- होगी।
2.	साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ/क्षेत्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतियोगिता अंशदान	300/-	
3.	मूल्यांकन एवं स्थानीय परीक्षा	300/-	
4.	विज्ञान क्लब, विज्ञान फीस, मनोविज्ञान गणित क्लब	200/-	
5.	कार्यानुभव/बागवानी/काफ्ट/कला शिक्षा	200/-	
6.	शालानुभव कार्यक्रम/शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	200/-	
7.	समाचार पत्र/पत्रिकाएँ/बुलेटिन / वाचनालय	200/-	
8.	सामुदायिक जीवन एवं समाज के साथ कार्य	150/-	
9.	सेमीनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	500/-	
10.	रेडकास/स्काउट	50/-	
11.	स्टेशनरी एवं अन्य	300/-	
12.	ITC	300/-	
13.	काशन मनी (केवल प्रथम वर्ष में देय)	500/-	
	कुल योग	3500/-	

फीस संबंधी निर्देश :-

- (1) संबंधित अशासकीय संस्था को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का (बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा/नामांकन शुल्क के अतिरिक्त) कोई शुल्क प्रशिक्षणार्थियों से सत्र में नहीं लिया जाएगा।
- (2) विद्युत, पानी एवं अन्य खर्च वास्तविक व्यय के आधार पर छात्रावासी प्रशिक्षार्थियों से पृथक से प्रतिमाह वसूली किया जायेगा।
- (3) अशासकीय संस्था में छात्रावास संचालित हो तो वहां की आंतरिक व्यवस्था एवं मासिक व्यय की वसूली हेतु प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावासी सदस्यों की सहमति से कर सकते हैं।
- (4) मेस चार्ज प्रतिमाह छात्र से वसूल किया जायेगा। मेस एडवांस की राशि का अंतिम माह में व्यय समायोजित किया जायेगा।
- (5) क्रियाकलाप हेतु प्राप्त राशि प्राचार्य के द्वारा संचालित की जाएगी।
- (6) सत्रारंभ के समय कैलेंडर निर्माण किया जावे एवं सभी प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन सत्रांत के पश्चात् परिषद् को उपलब्ध कराया जावे।
- (7) अशासकीय संस्था को अपने कार्य क्षेत्र में डाइट/बी.टी.आई. का क्षेत्रीय कीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं शिक्षा सम्मेलन आयोजित करना होगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं के लिए फीस की स्वीकृति दी जा चुकी है।
- (8) यह शुल्क सत्र 2013-14 में प्रवेशित छात्रों के लिए है एवं यही फीस पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए लागू रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 6-35/2013/20-तीन
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 4/12/2013

- (1) संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शंकरनगर, रायपुर। कृपया सर्व संबंधितों की ओर आदेश की प्रति भेजने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
 - (2) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, पेंशनवाड़ा, छत्तीसगढ़ रायपुर।
 - (3) आयुक्त, आदिम जाति/अनु.जाति/अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर छ0ग0।
 - (4) गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग